

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-1792/2014/जोधपुर

मैसर्स आयुषी एजेन्सीज,
सिंवाची गेट, जोधपुर
बनाम्

.....अपीलार्थी.

1. अपीलीय प्राधिकारी-द्वितीय, जोधपुर
2. सहायक आयुक्त प्रतिकरापवंचन, जोधपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 18.09.2018

निर्णय

1. उक्त अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी जोधपुर-द्वितीय वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 041/आरवेट/जेयूबी/13-14 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2014 के दिरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त प्रतिकरापवंचन, जोधपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.07.2013 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25 एवं 55 के तहत कायम कर व ब्याज को यथावत रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील को अस्वीकार किया गया।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा फर्म मैसर्स पेरफेटी वानमेले इण्डिया प्रा. लि. से क्रय किये गये माल कैण्डी Alpenliebe को शुगर कैण्डी के रूप में विक्रय कर 5 प्रतिशत की दर से कर संग्रहण किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा यह पाया गया कि उक्त आलौच्य अवधि में बिक्रीत Alpenliebe कैण्डी ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की श्रेणी में आने से 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। सशक्त अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में बिक्रीत Alpenliebe उत्पाद को ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी निर्धारित कर, 5 प्रतिशत के स्थान पर 14 प्रतिशत की दर कर देयता आदेश दिनांक 20.07.2013 द्वारा निर्धारित की गयी तथा अन्तर कर रूपये 1,96,955/- रूपये तथा धारा 55 के तहत 41,172/- रूपये का ब्याज का आरोपण किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 20.05.2014 में विक्रय पर अनुसूची पंचम के अनुसार कर व ब्याज को विधिसम्मत मानते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित कर व ब्याज को यथावत रखा

लगातार.....2.

जाकर अपीलार्थी फर्म की अपील को अस्वीकार किया गया। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 20.05.2014 से व्यथित होकर अपीलार्थी फर्म द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।
4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का खण्डन करते हुए कथन किया गया कि: आलौच्य अवधि में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माल Alpenliebe का क्रय मैसर्स पारले बिस्किट प्रा. लि. से किया गया था। Alpenliebe शुगर कैण्डी है, जिसपर अधिनियम 2003 की अनुसूची-4 की प्रविष्टि संख्या 163 के अनुसार 5 प्रतिशत से करदेयता थी परन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा इसे शुगर कैण्डी न मानकर कुछ अन्य अवयव (ingredients) मिश्रित होने के आधार पर इस माल को अनुचित रूप से कन्फेक्शनरी (confectionery) माना गया। जबकि अपीलार्थी फर्म का विक्रय माल केवल शुगर एवं ग्लूकोज से बने हुए है। ऐसी स्थिति में शेड्यूल-4 की प्रविष्टि संख्या 163 के अनुसार 5 प्रतिशत ही करदेयता थी। सशक्त अधिकारी द्वारा शेड्यूल की अनुसूची-5 के अनुसार करारोपण किया गया जिसका आधार प्रविष्टि संख्या 154 में केवल अनब्राण्डेड कन्फेक्शनरी को ही सम्मिलित किया जाना माना गया है। व्यवहारी फर्म द्वारा विक्रय किये गये माल केवल शुगर कैण्डी की श्रेणी में आने से प्रविष्टि संख्या 163 के अनुसार ही 5 प्रतिशत से कर संग्रहण विधिसम्मत है।
5. विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में आगे यह कथन किया गया कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा किया गया उत्पाद वैट अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 133 के तहत आता है तथा उसी के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कर संग्रहित करते हुए राजकोष में जमा कराया जा रहा है। अग्रिम कथन किया कि अधिनियम लागू होने के समय अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 154 'Confectionery excluding chocolate' थी जो दिनांक 08.05.2006 की अधिसूचना से संशोधित होकर Excluding branded Confectionery हुआ तथा दिनांक 01.06.2006 से नई प्रविष्टि संख्या 163 आयी। 'Sugar Candy made of sugar and glucose but excluding coco' जिसके अनुसार कुछ उत्पाद इस श्रेणी के होने के कारण तदनुसार कर संग्रहित करके जमा कराया गया। अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 163 में All type of sugar candy सम्मिलित है तथा 'Coco' से निर्मित केण्डी इसमें सम्मिलित नहीं है। विधायिका ने Sugar Candies made of Sugar and glucose and containing Flavours, Creame and colors को स्पष्टतः पृथक नहीं किया है। विद्वान अभिभाषक ने माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय Gurudevudta Vk Margyadit and others Vs: State of Maharashtra and others 2001 (004) SSC - 0534(SC) का दृष्टान्त उद्धरित

लगातार.....3.

किया। साथ ही उन्होंने कथन किया कि व्यवहारी के उत्पाद प्राथमिक रूप में Sugar & Glucose से बने हैं तथा नाम मात्र के Flavouring Substances, Emulsifiers and colorants होते हैं। विद्वान अभिभाषक ने सीटीओ बनाम हीरा लाल मुरलीधर, 1993 टैक्स वर्ल्ड 32 सैक्शन-1 में मीठी गोली जिसमें 90 प्रतिशत शुगर को कन्फेक्शनरी नहीं, बल्कि शुगर कैण्डी माना है। विद्वान अभिभाषक ने अतिरिक्त आयुक्त का अधिनियम की धारा 12-ए आरएसटी एक्ट का आदेश दिनांक 02.01.1989 मैसर्स अशोक एन्टरप्राइजेज, कोटा का न्यायिक दृष्टान्त में Lozenges Toffee को मीठी गोली माना जाना राजस्व द्वारा बाध्यकारी होना बतलाया है। जबकि सशक्त अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल को ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी मानकर सामान्य कर दर तथा ब्याज आरोपित किया है जो विधिसम्मत नहीं है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 20.05.2014 का अपास्त करने तथा अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।


6. प्रत्यर्थी राजस्व के उपराजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.04.2006 से अनुरूची वस्तु की प्रविष्टि संख्या 154 जोड़ी गई थी, जो निम्न प्रकार से थी:-

"154 unbranded bakery products including cookies, cakes and pastries, confectionery excluding chocolates" दिनांक 08.05.2006 की अधिसूचना से confectionery के पूर्व में unbranded जोड़ा गया जिसका तात्पर्य यह हुआ कि ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी स्वतः ही प्रविष्टि संख्या 154 से बाहर हो गई एवं अनुसूची पंचम के अनुसार सामान्य कर दर से कर योग्य हो गई। उन्होंने हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2017 मैसर्स परफेटी वैन मेले इण्डिया प्रा.लि. बनाम सरकार प्रकरण संख्या 473/2011 एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय ने समान तथ्यों पर आधारित प्रकरणों में ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की बिक्री पर सामान्य कर दर निर्धारित की है एवं आरोपित ब्याज को बहाल किया है। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा यह कथन किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से उक्त प्रकरण पर पूर्णतया आच्छादित है। अतः सशक्त अधिकारी ने व्यवहारी अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत माल को शुगर कैण्डी के स्थान पर ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी मानने में तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा उराकी पुष्टि करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। अतः प्रत्यर्थी

लगातार.....4.

राजस्व के विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी फर्म द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किये जान व अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

7. उभयपक्षीय बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रकरण में विवादित बिन्दु यह है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स पेरफेटी वानमेले इण्डिया प्रा. लि.का माल शुगर कैंडी है या ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी।
8. यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी व्यवहारी फर्म द्वारा मैसर्स पेरफेटी वानमेले इण्डिया प्रा. लि. के उत्पाद Alpenliebe को शुगर कैंडी के रूप में क्रय करके उस माल को शुगर कैंडी के रूप में ही विक्रय किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा शुगर कैंडी को उसमें शुगर व ग्लूकोस के अलावा अन्य मिश्रण जैसे coloring, additives and binding agent मिश्रित होने से शुगर कैंडी नहीं मानकर कन्फेक्शनरी माना गया। इस आधार पर अनुसूची IV की प्रविष्टि 163 "Sugar Candy made of sugar & Glucose but excluding coco" के अनुसार 5 प्रतिशत करदेयता का माल नहीं होकर Sugar and Glucose के अलावा अन्य खाद्य सामग्री की Mixing and Blending सिस्टम से निर्मित उत्पाद की बिक्री होने पर व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल Sugar Candy को ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी (Branded Confectionery) माना गया तथा ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की कोई प्रविष्टि अनुसूची IV में नहीं होने से अनुसूची V के अनुसार सामान्य कर दर से करारोपण किया गया।
9. अपीलीय अधिकारी द्वारा यह अभिमत प्रकट किया कि राजस्थान कर बोर्ड द्वारा परफेटी वानमेले इण्डिया लि. बनाम सीटीओ, आई, द्वितीय, जयपुर (2011) 31 टीयूडी पेज 17 निर्णय दिनांक 26.07.2011 के मामले में किये गये निर्णय में शुगर कैंडी के रूप में विक्रय किये गये माल को ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी (Branded Confectionery) मानकर उस पर अधिनियम की अनुसूची V के अनुसार सामान्य कर दर से करारोपण को यथावत रखा गया तथा मैसर्स पारले प्रोडक्ट्स प्रा. लि. बनाम सीटीओ स्पेशल सर्किल अजमेर (2013) 30 टीयूडी पेज 13 निर्णय दिनांक 07.03.2013 भी यही अभिनिर्धारित किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा परफेटी वानमेले व मैसर्स पारले इण्डिया के मामलों में राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णयों से वर्तमान प्रकरण के आच्छादित होने पर विक्रय किये गये माल शुगर कैंडी को ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी होना अभिनिर्धारित कर अधिनियम की अनुसूची V के तहत सामान्य कर दर से करारोपण को यथावत रखा गया तथा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश द्वारा आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि की गयी।



10. यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में बिक्रीत माल अधिनियम की अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 163 "Sugar Candy made of sugar & Glucose but excluding coco" के अनुसार 5 प्रतिशत करदेयता का माल नहीं होकर Sugar and Glucose के अलावा अन्य खाद्य सामग्री की Mixing and Blending सिस्टम से निर्मित उत्पाद की बिक्री है। सशक्त अधिकारी व अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में समस्त तथ्यों को विस्तृत रूप से विवेचित करते हुये व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल को Sugar Candy की के स्थान पर ब्राण्डेड कन्फेशनरी प्रोडक्ट की ही बिक्री निर्धारित की गई है एवं अधिनियम की अनुसूची-V के तहत निर्धारित सामान्य दर से करदेयता निर्धारित करते हुये अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध आलौच्य अवधि में करारोपण किया है, वह विधिनुकूल है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने समान तथ्यों पर विवादित कन्फेशनरी पर एसबी एसटीआर/रेफरेंस संख्या 473/2011 मैसर्स परफेटी वैन मेले इण्डिया प्रा०लि०, जयपुर व अन्य बनाम उपायुक्त (अपील्स) तृतीय व अन्य निर्णय दिनांक 17.02.2017 में दिये गये निर्णायक निर्णय में सुस्थापित किया है कि :-

"In my view, applying the common parlance test which has been held appropriate by the Apex court time and again in matters like this, the products in which the assessee are dealing, are certainly branded toffees. Taking into consideration the aforesaid reasoning of the Apex court as well as by this court (supra), in my view the finding reached by all the three authorities in unison is well reasoned and no interference is required to be taken into consideration and accordingly while the tax is upheld and consequently the interest being consequential, is also upheld."

माननीय न्यायालय का उपरोक्त निर्णय व्यवसायी द्वारा बिक्रीत माल/समान प्रकृति के माल की बिक्री के सम्बन्ध में ही है, हस्तगत प्रकरणों में पूर्णतः लागू होने से अन्तर कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है। चूंकि उक्त प्रकरण वस्तुओं के वर्गीकरण से सम्बन्धित था, जो शुरू से ही विवादित किया गया है।


11. वर्तमान प्रकरण के तथ्य भी उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्यों के समान है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से उक्त प्रकरण पूर्णतया आच्छादित है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी का निर्णय दिनांक 20.05.2014 पुष्टि किये जाने योग्य है तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।
12. अपीलार्थी विद्वान अभिभाषक की ओर से बहस के समय यह कथन किया गया था कि यदि व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल अनुसूची पंचम में मानकर सामान्य कर दर 14 प्रतिशत की श्रेणी में माना जाता है तो इस संबंध में व्यवहारी को इनपुट टैक्स दिये

लगातार.....6.

जाने बाबत भी आदेश पारित किये जावें। इस संबंध में सशक्त अधिकारी को निर्देश दिया जाना न्यायसंगत है कि यदि व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 18 की शर्तों की पूर्ति की जाती है तथा आवश्यक इनवाइस व अन्य वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते हैं तो इस संबंध में विधिक प्रावधानों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये।

13. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 20.05.2014 अपास्त किया जाता है। यहां सशक्त अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि निर्णय के पैरा संख्या 12 में वर्णितानुसार यदि व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 18 की शर्तों की पूर्ति की जाती है तथा आवश्यक इनवाइस व अन्य वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते हैं तो इस संबंध में विधिक प्रावधानों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये।

14. निर्णय सुनाया गया।


(राजीव चौधरी)
सदस्य